



कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

बिहार, लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 04/2016-17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना



एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि नगर पंचायत, लातेहार अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षित लाभुको को सिलाई मशीन/टूल किट्स उपलब्ध करायी जानी है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 23.08.2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक सिलाई मशीन/टूल किट्स आपूर्ति हेतु अपना निविदा मुहरबन्द लिफाफे में कार्यालय में जमा करेंगे। प्राप्त निविदा को उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। आपूर्तिकर्ता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का विवरण निम्नवत है।

SL. NO.	Discription	Item No	Tender Fee	Security Money
01	SWEING MACHIN (Silai Machine) with Pawdan Make- Usha, Samrat, etc	92 pc	5,000.00	55,500.00
02	Beautician kitts with all Accessories Under Rs. 2500.00 (Two Thousand Five Hundred)	33 pc	1,000.00	5000.00
03	Electrician kitts with all Accessories Under Rs. 2500.00 (Two Thousand Five Hundred)	35 pc	1,000.00	5000.00

नियम एवं शर्तें-

1. आपूर्तिकर्ता को निविदा के साथ अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर भैट प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, टीन संख्या, 1 वर्ष का वारंटी का प्रमाण पत्र एवं अधिकृत बिक्रेता का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को निविदा शुल्क के रूप में क्रमांक 01 के लिए 5000.00, क्रमांक 02 एवं 03 के लिए 1000.00 रु० का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे लौटाया नहीं जायेगा।
3. निविदा के साथ अग्रघन की राशि का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा पासबुक, जमा करना होगा जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज्ड) रहेगा।
4. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति कार्यालय में करना होगा जिसके लिये अलग से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
5. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार न्यय समिति का होगा, जिन्हे कही चुनौति नहीं दी जायेगी।
6. क्रमांक 02 एवं 03 के लिए डाले जाने वाले निविदा में आवश्यक सामग्रियों की पूर्ण विवरणी अंकित करते हुये दर अंकित करना अनिवार्य होगा जो 2500.00 (दो हजार पांच सौ) रु० से अधिक की नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्ता को सभी सामग्रियों के आपूर्ति हो जाने के उपरान्त एक मुस्त राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही विपत्र की राशि से भैट एवं आयकर की राशि की कटौती के उपरान्त शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. किसी भी तरह के विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में ही मान्य होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 1007 दिनांक 4-8-16

संवाददाता दैनिक भाष्कर/खबर मंत्र एवं आज को उपरोक्त सूचना का प्रकाशन विज्ञापन के माध्यम से 2500.00 (दो हजार पांच सौ) रुपये के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 1007 दिनांक 4-8-16

डी.आई.ओ. एन.आई.सी. लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन एन. आई.सी. के वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-

निदेशक, नगरिय प्रशासन निदेशालय, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।